

काशालव, आमुकत, उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन,
सतपुड़ा भूमि, भोपाल

क्रमांक 182 /आउटिन्हैंड-शा-13/03, भोपाल, दिनांक: 17.1.03
प्रति,

बुल सचिव
राजी दुर्गापती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ३८५००१

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र में संगोष्ठी बाबत ।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1904/1312/तम्हैं/शा-13/02, दिनांक 18.12.02
के द्वारा अनुब्री होम्योपेथिक विकिता असारकीय महाविद्यालय, जबलपुर को दिए
गए अनुपत्ति आदेश में बी.एम.एस. के स्थान पर बी.एम.एस. एवं विन्दु क्रमांक
3 में विकिता विभाग, म०प्र० शासन के स्थान पर विकिता शिक्षा विभा, म०प्र०
शासन, भोपाल पढ़ा जाए ।

संहिता संचालक ईस.ओ: १
उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन, भोपाल
१०३०/ ८३ /आउटिन्हैंड-शा-13/03, भोपाल दिनांक: 17.1.03

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, अनुब्री सोतायटी, 16 जबलपुर कलव, नोदरा डिन, जबलपुर ।
2. प्रायार्थ, अनुब्री होम्योपेथी मेडिकल कालेज, जबलपुर ।
3. गारकीय अणी महाविद्यालय, जबलपुर ।

16/1/03
संहिता संचालक ईस.ओ: १
उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन, भोपाल

/बरे १६१०३/

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004.

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15.03.2000

क्रमांक : एफ 13-5/2000/55/चिशि/2, राज्य शासन अनुश्री एज्युकेशन सोसायटी जबलपुर द्वारा प्रस्तावित अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जबलपुर में बो. एच. एम. एस. स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि संस्था केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली की अनुमति, उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति एवं संबंधित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात ही महाविद्यालय प्रारंभ करेगी।

2/ संस्था में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा आवंटित सीटों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कौंसिलिंग के माध्यम से छात्रों को बी. एच. एम. एस. प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जायेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

खुबीर श्रीवास्तव
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग,

पृष्ठ 00 : एफ 13-5/2000/55/चिशि/2, भोपाल, दिनांक 15.03.2000

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंगेष्टित :-

1. विशेष सहायक, मान्० मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग.

2. सचिव, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद जवाहरलाल नेहरू भारतीय

चिकित्सा पद्धति एवं केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान भवन 61-65
इन्स्टीट्यूशनल सरिया विपरीत डॉ ज्ञानकुमारो, नई दिल्ली-५९

112//

3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल.
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा अंगासकोव शिक्षण संस्थाओं से संबंधित शाखा हिन्दी भवन के पास, भोपाल।
5. क्लेक्टर, जबलपुर.
6. रजिस्ट्रार, रानी दुर्गाविती विश्व विद्यालय, जबलपुर.
7. संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल.
8. प्रशासक, राज्य होम्योपैथी परिषद, भोपाल.
9. रजिस्ट्रार, राज्य होम्योपैथी परिषद, भोपाल.
- ✓10. सचिव, अनुश्री स्युकेशन सोसायटी, 16 जबलपुर, क्लब कॉम्मलेक्स नौदरा ब्रिज, जबलपुर-482002.
11. आदेश फाईल.

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग.

//पात्रे 15032000//